कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 30/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 18.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़

चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 अदद कुर्सियां एवं 01 वेट मशीन बरामद।

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 08.11.2025 को वादिनी प्रतिमा यादव पत्नी प्रिन्स यादव, निवासी ग्राम खड़गिलिया, पोस्ट मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ (हाल पता – सीएचओ नरांव, ब्लॉक सठियांव, जनपद आजमगढ़) द्वारा थाना मुबारकपुर पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि दिनांक 03.11.2025 की रात्रि में ब्लॉक सठियांव के उपकेन्द्र नरांव (आरोग्य मंदिर/ए.एन.एम. सेंटर) में रखी 10 कुर्सियां एवं एक वेट मशीन अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 367/2025, धारा 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 17.01.2026 को उ0नि0 श्री राघव राम यादव मय हमराह के साथ थाना हाजा से देखभाल क्षेत्र एवं रात्रि गश्त हेतु रवाना होकर इब्राहिमपुर चट्टी पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि नरांव स्थित ए.एन.एम. सेंटर से चोरी की गई कुर्सियां एवं वेट मशीन को एक व्यक्ति प्रकाश गार्ड नरांव के खण्डहर फार्म में छिपाकर रखा है तथा उसे कहीं बेचने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मुखबिर के साथ बताए गए स्थान पर पहुँची। टार्च की रोशनी में देखा गया कि एक व्यक्ति चोरी की कुर्सियों व वेट मशीन के साथ मौजूद है। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया गया।

पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम मन्नान खान पुत्र युनुस खान, निवासी इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 42 वर्ष बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में आरोग्य मंदिर नरांव से 10 कुर्सियां एवं एक वेट मशीन चोरी की थी, जिसमें से 5 कुर्सियां बेच दी थीं तथा शेष 5 कुर्सियां व एक वेट मशीन को खण्डहर में छिपाकर रखा था। आज वह इन्हें बेचने के लिए ले जा रहा था, इसी दौरान पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अतः अभियुक्त का कृत्य उक्त धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध पाए जाने पर उसे समय 22.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा बरामद माल पुलिस कब्जे में लिया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त का नाम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में लाया गया तथा धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गई। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

01. मन्नान खान पुत्र युनुस खान, निवासी – इस्लामपुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

माल मुकदमाती – 05 अदद कुर्सियां एवं 01 वेट मशीन

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 468/2025, धारा – 305, 317(2) BNS, थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

- उ0नि0 श्री राघव राम यादव
- का0 विनय यादव
- का0 बुटाई शाह थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़।

थाना – मेहनाजपुर | जनपद – आजमगढ़

साइबर फ्रॉड पीड़ित को 17,000/- रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई

जनपद आजमगढ़ में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहनाजपुर पुलिस की साइबर टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड के शिकार एक पीड़ित को 17,000/- रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

आवेदक अफजल अन्सारी पुत्र अन्जूर अन्सारी, निवासी ग्राम दरियापुर नेवादा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 19.10.2025 को अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी ऑनलाइन आईडी बनाकर 50,000/- रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया था। घटना की जानकारी होते ही आवेदक द्वारा तत्परता दिखाते हुए उसी दिन साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या 33110250137069 है।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत NCRP पोर्टल के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गई धनराशि में से
Gayatri Co-operative Urban Bank Ltd (IFSC – HDFC0CTGCUB) के एक खाते में जमा 17,000/- रुपये को समय रहते होल्ड करा दिया गया।
बाद में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना मेहनाजपुर की साइबर टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त 17,000/- रुपये आवेदक के बैंक खाते में वापस कराए गए।

बरामदगी / धनवापसी का विवरण-
वापस कराई गई धनराशि – ₹17,000/-

साइबर टीम का विवरण-
01. उ0नि0 दीपक कुमार, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
02. का0 दिवाकर कुमार, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
03. म0आ0 पूनम मौर्य, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रतिक्रिया-
धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा थाना मेहनाजपुर पुलिस एवं साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

□ आजमगढ़ पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते धनराशि सुरक्षित की जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – सिधारी, जनपद – आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला ₹25,000 का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण:

- वर्ष **2023** में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना सिधारी पर **मु0अ0सं0 81/23** धारा **363 भादवि** पंजीकृत किया गया था।
- विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय में धारा **164 सीआरपीसी** के अंतर्गत दिए गए बयान के आधार पर अभियुक्त **विरेन्द्र तेली उर्फ सोनू** का नाम प्रकाश में आया।
- साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा **366/376 भादवि** एवं **5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।
- अभियुक्त गिरफ्तारी से बचता रहा, जिस कारण वह **वांछित** घोषित किया गया तथा उस पर **₹25,000 का इनाम** घोषित किया गया।

अपराध का तरीका (Modus Operandi):

- अभियुक्त द्वारा नाबालिग से पूर्व परिचय स्थापित कर **विश्वास में लिया गया**।
- बातचीत व झूठे प्रलोभनों के माध्यम से उसे **बहला-फुसलाकर घर से बाहर ले जाया गया**।
- अवसर पाकर अभियुक्त द्वारा नाबालिग को **भगा ले जाकर अपराध कारित किया गया**।
- घटना के पश्चात अभियुक्त **लगातार स्थान बदलकर पुलिस से बचता रहा**।

गिरफ्तारी का विवरण

- **दिनांक 17.01.2026** को प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु मामूर थी।
- इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 81/23 में ₹25,000 का इनामिया वांछित अभियुक्त **पल्हनी रेलवे क्रॉसिंग** के पास मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में है।
- सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुँची और **घेराबंदी की गई**।
- पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे तत्परता से **पकड़ लिया गया**।
- पूछताछ में उसने अपना नाम **विरेन्द्र तेली उर्फ सोनू पुत्र अर्जुन तेली** निवासी **नवलपरासी पश्चिम, लुम्बनी (नेपाल)** बताया।
- अभियुक्त को **समय लगभग 01.50 बजे** कारण गिरफ्तारी बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** विरेन्द्र उर्फ सोनू, **पिता का नाम:** अर्जुन, **निवासी:** ग्राम गुठी प्रसौनी, थाना बेलाटाड़ी प्रतापपुर
- **जनपद/राज्य:** नवलपरासी पश्चिम, लुम्बनी (नेपाल), **उम्र:** लगभग 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:

- **मु0अ0सं0:** 81/23, **धाराएं:** 363 / 366 / 376 भादवि एवं 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट, **थाना:** सिधारी, जनपद – आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- श्री **राकेश कुमार सिंह** – प्रभारी निरीक्षक, थाना सिधारी
- उ0नि0 **जावेद सिद्दिकी**
- का0 **कुलदीप सरोज**
- का0 **इंदल यादव**

प्रेस नोट

थाना – पवई, जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / संक्षिप्त विवरण:

- **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत थाना पवई पर दिनांक **17.01.2026** को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।
- उक्त प्रकरण में थाना पवई पर **मु0अ0सं0 0011/2026**, धारा **137(2), 87 बीएनएस** अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ।
- विवेचना के दौरान अभियुक्त **सत्यम पुत्र दिलीप**, निवासी हमीरपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण

- दिनांक **17.01.2026** को उ0नि0 **लाल बहादुर बिन्द** मय हमराह हे0का0 **मंजीत ठाकुर** एवं म0का0 **सुमन मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत वांछित अभियुक्त की तलाश में मामूर थे।
- मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त की उपस्थिति **सुलेमापुर** क्षेत्र में होने की जानकारी प्राप्त हुई।
- सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचकर घेराबंदी की गई।
- अभियुक्त **सत्यम पुत्र दिलीप** को **समय करीब 17.40 बजे** सुलेमापुर से विधिवत गिरफ्तार किया गया।
- अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- **नाम:** सत्यम पुत्र दिलीप, **निवासी:** हमीरपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़, **उम्र:** लगभग 18 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

- **मु0अ0सं0:** 0011/2026 **धाराएं:** 137(2) / 87 बीएनएस, **थाना:** पवई, जनपद – आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

- उ0नि0 **लाल बहादुर बिन्द**
- हे0का0 **मंजीत ठाकुर**
- म0का0 **सुमन थाना:** पवई, जनपद – आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – देवगांव, जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कार्यवाही, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अपराध का विवरण:

- आवेदिका द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गई कि आरोपी द्वारा उनकी नाबालिग/युवती पुत्री को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया।
- प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 34/2026**, धारा **69 बी.एन.एस.** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- प्रकरण की विवेचना उ0नि0 विनय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में, दिनांक **18.01.2026** को उ0नि0 विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **गुलाबचन्द्र पुत्र केरा**, निवासी ग्राम चेवार पूरब, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर के सामने से समय **11:05 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया।अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** गुलाबचन्द्र पुत्र केरा
- **निवासी:** ग्राम चेवार पूरब, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
- **उम्र:** लगभग 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:

- मु0अ0सं0 **34/2026** धारा **69 बी.एन.एस.** थाना – देवगांव, जनपद – आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. उ0नि0 विनय कुमार सिंह – थाना देवगांव
2. हे0का0 अमित कुमार गर्ग – थाना देवगांव

प्रेस नोट

थाना – कोतवाली, जनपद – आजमगढ़
मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बिखरे परिवारों को समझौते के माध्यम से एक सूत्र में बांधा

संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 11.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में 07 पत्रावलियों के दोनों पक्षों को फोन/नोटिस द्वारा बुलाया गया, जिनमें 06 पत्रावलियों ने उपस्थिति दी।
02 प्रकरणों में पक्षों को कुशलता पूर्वक समझा-बुझाकर समझौता कराया गया।
समझौते मुख्यतः दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से संबंधित थे।
इस पहल से बिखरे हुए परिवारों में सामंजस्य स्थापित हुआ और माननीय पारिवारिक न्यायालय का कार्यभार भी कम हुआ।
शेष पत्रावलियों में दोनों पक्षों को आगामी तिथि पर मिडिएशन हेतु नोटिस/फोन द्वारा सूचित किया जाएगा।
समझौता सफल प्रकरण (कुल 02):

1. अर्चना मौर्य पत्नी वृजराज मौर्य, सा0 लेडुवा, थाना तहबरपुर
2. अरविन्द यादव पुत्र सिकानू यादव, सा0 बालापुर रामसारा, थाना जीयनपुर

उपस्थित अधिकारी एवं टीम:

काउंसलर – डॉ0 उमेशचन्द्र पाण्डेय, श्री गिरीश सिंह पटेल
उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
उ0नि0 सत्यनारायण यादव, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
आरक्षी – जितेन्द्र कुमार शाह, सुनील कुमार गुप्ता
महिला आरक्षी – प्रतिमा सिंह

➡ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत यह पहल परिवारों में सामंजस्य, महिला सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।